बिहार सरकार
सूचना प्रावैधिकी विभाग

संकल्प

विषयः– **बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लि० के संगम ज्ञापन (Memorandum of Association) में संशोधन के संबंध में।**

[Regarding amendment in Memorandum of Association of Bihar State Electronics Development Corporation Limited.]

बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लि० की स्थापना उद्योग विभाग के अंतर्गत राज्य में इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों के निर्माण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वर्ष 1978 में की गई। निगम के स्थापना वर्ष से वर्त्तमान के क्रियाकलापों में बदलाव हो चुका है। निगम तत्कालीन इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुओं के उत्पादनकर्त्ता से सूचना प्रावैधिकी संबंधी सेवा प्रदात्ता बन चुका है तथा सम्प्रति राज्य सरकार की विभिन्न आई०टी० परियोजनाओं का क्रियान्वयन करता है।

2. सूचना प्रावैधिकी विभाग के द्वारा राजगीर में आई०टी० सिटी, बिहटा में आई०टी० पार्क, पटना के डाक बंगला चौराहा पर आई०टी० टॉवर, बन्दर बागीचा में आई०टी० पार्क एवं भविष्य में विकसित होने वाले आधारभूत संरचना के रख–रखाव एवं प्रबंधन का दायित्व निगम को सौंपा गया है।

उक्त आधारभूत संरचनाओं को विकसित करने के क्रम में विभिन्न चरणों में भूमि विकास, विनिर्माण, फैसिलिटी प्रबंधन, स्थल आवंटन, संचालन एवं रख–रखाव, शुल्क नियमन, विधिक सेवाएँ इत्यादि गतिविधियाँ संचालित की जानी है।

3. उक्त गतिविधियों के संचालन हेतु निगम के संगम–ज्ञापन के Object Clause में कोई Object शामिल नहीं हैं। इसलिये निदेशक पर्षद की 139वीं बैठक में उक्त कार्यों हेतु Object Clause को संगम ज्ञापन में शामिल करते हुए सूचना प्रावैधिकी विभाग से अनुमोदन की अनुशंसा की गई थी। किन्तु संगम ज्ञापन में शामिल किये गये नये Object में ज्यादा स्पष्टता हेतु निदेशक पर्षद की 141वीं बैठक में उसे विचारार्थ प्रस्तुत किया गया तथा निदेश पर्षद द्वारा नये Object में संशोधन करते हुए विभाग से अनुमोदन हेतु अनुशंसा की गई है।

4. प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन निगम लि० ने पत्रांक–896 दिनांक 05.02.2019 (छाया प्रति संलग्न) के माध्यम से निदेशक पर्षद की 141वीं बैठक की कार्यवाही उपलब्ध करायी गयी है, जिसमें यह अनुशंसा की गयी है कि उक्त कार्यों हेतु निगम के संगम ज्ञापन में Object Clause के रूप में कंडिका–6 एवं 7 को सम्मिलित किया जाय।

5. वर्णित पहलुओं को ध्यान में रखते हुए बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लि० के संगम ज्ञापन के Clause-III के Sub-Clause A में वर्णित Object के साथ–साथ अतिरिक्त Object के रूप में कंडिका–6 एवं 7 को भी सम्मिलित किया गया जो निम्न प्रकार से है :–

(6) To carry on in India the business of providing of services in relation to or in connection with setting up, development, operation, maintenance, modernisation, expansion and improvement of any infrastructure project or facility of knowledge parks, towers, information technology parks, information technology city or any other IT Infrastructure Development work and setting up of industrial areas, leasing and sub-leasing of land, building, area to companies, persons, Government, firms, associations, authorities, bodies, trusts, agencies, societies or any other person.

(7) To actively promote investments into Information Technology Infrastructure Facility available in Bihar, initiate and support measures that will enhance the investment climate for both national and non-national enterprises and persons; and develop image-building activities to represent Bihar as an ideal investment destination and engage in such other promotional activities for investments.

(प्रस्तावित संशोधन के साथ Memorandum of Association की छाया प्रति संलग्न)।

क्रमशः 2/

6. उक्त संकल्प को दिनांक 21.06.2019 को मद संख्या—10 के रूप में मंत्रिपरिषद के द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी है।

आदेश :— *आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को राजकीय राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय और इसकी प्रति सभी विभाग/विभागाध्यक्ष/प्रमंडलीय आयुक्त/जिलाधिकारी/अनुमंडलाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जाय।*

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(राहुल सिंह)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक : 05—सू०प्रा०—38/2015 767 दिनांक 26/06/2019
प्रतिलिपि : महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव

ज्ञापांक : 05—सू०प्रा०—38/2015 767 दिनांक 26/06/2019
प्रतिलिपि : मुख्य सचिव/विकास आयुक्त, बिहार/राज्यपाल के प्रधान सचिव/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/उप—मुख्यमंत्री के आप्त सचिव/वित्त मंत्री के आप्त सचिव/मंत्री, सू०प्रा०विभाग के आप्त सचिव/सभी प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष/लोकायुक्त के सचिव/निबंधक, उच्च न्ययालय, पटना/सचिव, राज्य सूचना आयोग/सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग/सचिव, बिहार विधान सभा/सचिव, बिहार विधान परिषद/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिलाधिकारी/प्रबन्ध निदेशक, बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लि०, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव

ज्ञापांक : 05—सू०प्रा०—38/2015 767 दिनांक 26/06/2019
प्रतिलिपि : उप सचिव (ई—गजट), वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं गजट में प्रकाशन हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव

ज्ञापांक : 05—सू०प्रा०—38/2015 767 दिनांक 26/06/2019
प्रतिलिपि : आई०टी० प्रबन्धक, सूचना प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

आपको निदेश दिया जाता है कि इसे सूचना प्रावैधिकी विभाग के पोर्टल पर अपलोड किया जाय।

सरकार के सचिव

राजन
25.06.19

Beltron-MOA-Obj-Clause-05-IT-38-15